


बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (का०पदा०)-01/2017 **6637** /न०वि०एवंआ०वि०। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-473-2 दिनांक-25.09.17 के आलोक में श्री रमण कुमार चौपाल, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज को श्री मनोज कुमार पवन, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा के अवकाश से वापस आने तक बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(शिव प्रसाद राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का०पदा०)-01/2017 **6637** /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- **11/10/17**
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित नगर आयुक्त/नगर परिषद, मधेपुरा/नगर पंचायत, मुरलीगंज/श्री रमण कुमार चौपाल, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज/श्री मनोज कुमार पवन, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11.10.17
सरकार के अवर सचिव।